न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–201/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00136)

1. कमला देवी पुत्री स्व. श्री बृजमोहन शर्मा पत्नी स्व. श्री गोपाल लाल जैमन, निवासी सी–14, नेताजी सुभाष नगर प्रथम, किसान मार्ग, टोंक रोड़, जयपुर।

––प्रार्थी

बनाम

1. उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर, सांगानेर जयपुर, राजस्थान।
2. श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री बृजमोहन शर्मा निवासी मकान नम्बर 13/19 सुनारों का मौहल्ला, मैन मार्केट सांगानेर, जयपुर।
3. श्रीमती मैना देवी शर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा निवासी मकान नम्बर 13/19 सुनारों का मौहल्ला, मैन मार्केट सांगानेर, जयपुर।
4. श्री सीताराम शर्मा पुत्र स्व. श्री बृजमोहन शर्मा निवासी मिश्र निवास टिक्कीवालों का मौहल्ला पोस्ट ऑफिस के पास, सांगानेर जयपुर, राजस्थान।
5. श्रीमती किशोरी देवी पुत्री स्व. श्री बृजमोहन शर्मा पत्नी स्व. श्री विश्वेश्वर शर्मा निवासी मकान नम्बर 3780 बोहरा जी का दरवाजा चौथा चौराहा मोती सिंह भौमियो का रास्ता जौहरी, बाजार, जयपुर, राजस्थान।
6. श्रीमती रजनी देवी शर्मा पुत्री स्व. श्री बृजमोहन शर्मा पत्नी स्व. श्री बृजमोहन शर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 1–ए राजहंस कॉलोनी, राधा मार्ग, ब्राहम्पुरी, जयपुर राजस्थान।
7. श्रीमती मंजू देवी शर्मा पुत्री स्व. श्री बृजमोहन शर्मा पत्नी अरूण शर्मा निवासी 999, लालजी सांड़ का रास्ता नवल बुक डिपो के सामने चौड़ा रास्ता, जयपुर राजस्थान।
8. श्रीमती कृष्णा उर्फ बेबी शर्मा पुत्री स्व. श्री बृजमोहन शर्मा पत्नी शैलेन्द्र शर्मा निवासी 17/1, मंगोड़ी वालो का रास्ता ब्रहम्पुरी, जयपुर राजस्थान।

––प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 25.03.2019

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय उपायुक्त सांगानेर जोन नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 126 दिनांक 11.08.2017 से असंतुष्ट होकर नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत प्रस्तुत की गई।

शर्मा से हुआ जिससे दो संताने अर्थात प्रार्थीया व श्री सीताराम शर्मा उत्पन्न हुऐ तथा श्रीमती गंगादेवी की मृत्यु के पश्चात् स्व. श्री बृजमोहन शर्मा का दूसरा विवाह स्व. श्रीमती लक्ष्मीदेवी से हुआ था जिनसे पॉच सन्ताने उत्पन्न हुई है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया है कि प्रार्थीया व उसके सभी भाई–बहनों को स्व. श्री बृजमोहन शर्मा से दो पृथक–पृथक अचल सम्पत्तियॉ प्राप्त हुई थी जिनमें से एक भूखण्ड संख्या 13/18, सुनारों का मौहल्ला, पटवा बाजार, संगानेर जयपुर है जिसमें नीचे पश्चिममुखी एक दुकान तथा उक्त दुकान के ऊपर प्रथम तल पर जाने का रास्ता रघुनाथ जी के मंदिर के उत्तरी तरफ से है जिसमें ऊपर जाने के लिए सीढियॉ बनी हुई है तथा प्रथम तल पर आवासीय निमार्ण किया हुआ है और उक्त आवासीय निमार्ण में वर्तमान में प्रार्थीया की आपसी सहमति से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 रह रहे है तथा मकान नीचे दुकान में उक्त अप्रार्थी संख्या 2 अपना व्यापार भी संचालित कर रहा है। उन्होने कथन किया है कि स्व. श्री बृजमोहन शर्मा के सभी वारिसान द्वारा समस्त सम्पत्तियों सहित उक्त आवासीय भवन की सार संभाल की जा रही है तथा निरन्तर रूप से उक्त भूखण्ड/भवन पर आवागमन एवं संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग किया जाकर सम्पत्ति पर काबिज भी है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया है कि प्रार्थीया के पिता स्व. श्री बृजमोहन शर्मा से प्राप्त अचल सम्पत्तियों के बंटवारे हेतु सभी वारिसों द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से बारम्बार निवेदन किये जाने पर वे परिवारिक रिश्तों की दुहाई देकर प्रार्थीया व अन्य वारिसों को टालमटोल करने लग गये तथा सामान्य परिवारिक व्यवहार में भी उत्यधिक परिवर्तन होने लग गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बंटवारा किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा उक्त भवन के बेचान किये जाने की धमकी दिये जाने के परिणाम स्वरूप श्रीमती किशोरी देवी शर्मा द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम –19 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम (1) में उपबन्धित प्रावधानों के तहत एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2018 को विचारण के दौरान उक्त अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा उक्त भवन के सम्बन्ध में स्वयं के पक्ष में पट्टा होने तथा भवन का बेचान किये जाने का तथ्य प्रकट किया तब प्रार्थीया को उक्त भवन/भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय द्वारा पट्टा जारी होने की जानकारी ज्ञात हुई तत्पश्चात् प्रार्थीया द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र के माध्यम से 44 पृष्ठों की सूचना प्राप्त हुई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त

प्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलीभगत कर उक्त विवादित/आक्षेपित पट्टा विलेख दिनांक 11.08.2017 जारी कर दिया गया जो नितान्त विधि विरूद्ध कार्यवाही की कोटि में आती है, ऐसी स्थिति में पट्टा विलेख क्रमांक 126 दिनांक 11.8.2017 निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्राप्त अभिलेखों में कार्यालय टिप्पणी दिनांक 29.01.2014 में उक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 4 बहिनों का हक त्याग(सहमति पत्र) प्रस्तुत किया जाना भी अंकित किया गया है परन्तु पत्रावली मे अन्य 4 बहिनों द्वारा किये गये हक त्याग सम्बन्धी कोई अभिलेख अस्तित्व में ही नही है बल्कि 4 बहिनों के शपथ पत्र मात्र प्रस्तुत किये गये जो नितान्त विधि विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट प्रमाण है।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया है कि उक्त विवादित पट्टा विलेख हेतु दिनांक 15.02.2013 को आवेदन के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 श्री रमेश चन्द शर्मा का नाम स्पष्ट अंकित है परन्तु उक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 11.08.2017 श्रीमती मैना शर्मा अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा विलेख में पटट्ाधारी के रूप में अंकित किया गया जबकि श्रीमती मैना शर्मा द्वारा पट्टा विलेख प्राप्त किये जाने हेतु कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया जो उक्त अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की मिलीभगत से किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि किसी भी व्यक्ति को सारवान रूप से क्षति कारित किये जाने की कार्यवाही के पूर्व उसे उसका पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के सम्यक रूप से अनुपालना हेतु आवश्यक है जबकि दिनांक 11.08.2017 को की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में प्रार्थीया को नगर निगम जयपुर के आयुक्त अथवा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया कोई अवसर नही प्रदान नही किया गया ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 126 दिनांक 11.08.2017 को निरस्त करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही अपनाते हुए ही पट्टा विलेख संख्या 126 दिनांक 11.08.2017 जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नही और उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत भी प्रस्तुत नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत

पति–पत्नि द्वारा नगर निगम जयपुर के अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर पट्टा विलेख प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की गई है, जो निरस्तनीय है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया संख्या 2, 4 लगायत 8 स्व. श्री बृजमोहन शर्मा के वारिसान है एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.01.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त पट्टा विलेख संख्या 126 हेतु समस्त वारिसान की सहमति पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे जबकि किसी भी निवसीयति व्यक्ति की सम्पत्ति में उस व्यक्ति के समस्त वारिसान का बराबर का हक हिस्सा कानूनन निहित होता है उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा विलेख संख्या 126 दिनांक 11.08.2017 जारी किया गया है जिसे कानूनन उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 126 दिनांक 11.08.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण, उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष का साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।